



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12770

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 39674 वर्ष 2025

विजय बाबू उर्फ विजय बाबू

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : आशुतोष गुप्ता, वन्दना गुप्ता

विपक्षी (गण की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री आशुतोष गुप्ता, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, राज्य के विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 109 of 2025, धाराएं 103(1) और 238(A) बी.एन.एस., थाना जमुना पार, जनपद मथुरा में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक और मृतका के बीच प्रेम विवाह हुआ था। उसके द्वारा दहेज की मांग का कोई प्रश्न ही नहीं था। आवेदक 12.04.2025 से जेल में बंद है और विचारण में सहयोग



करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने इस आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है कि आवेदक ने अपनी पत्नी की हत्या की और उसके शव को कृषि भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर छुपा दिया, तथा उक्त शव उसके इशारे पर बरामद किया गया, अतः वह जमानत का अधिकारी नहीं है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के इशारे पर गड्ढे से शव बरामद किया गया है, मुझे इस प्रकरण में आवेदक को जमानत प्रदान करना उचित नहीं लगता। जमानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।
7. तथापि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपर्युक्त प्रकरण को सर्वोच्च न्यायालय के *विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य, 2015 (3) SCC 220* और *हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ, (2017) 5 SCC 702* के हाल के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के दृष्टिगत, यदि कोई विधिक बाधा न हो, तो यथाशीघ्र शीघ्रातिशीघ्र निर्णीत किया जाए।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां किए गए अवलोकन केवल जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त अवलोकनों का विचारण के दौरान प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

19 जनवरी, 2026

(रवि कांत)